

**BFFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 603 OF 2024

IN THE MATTER OF:

**NEWS ITEM TITLED "AVAI DH KHANAN PAR HO RAHEE
HAI KARYAVAI JCB SAMET 9 TRACTOR-TROLLY GAYE
HAI SEAZE" APPEARING IN
CHANDAU LISAMACHAR.COM DATED 13.04.2024**

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Response on behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board, in compliance with order dated 13.02.2026 passed by the Hon'ble National Green Tribunal	1-3
2.	ANNEXURE-1 A true copy of the letter dated 02.04.2026 sent by the District Mining Officer	4
3.	ANNEXURE-2 A true copy of the report dated 02.04.2026 by UPPCB	5-6

THROUGH

DATE: 04.04.2026

PLACE: NEW DELHI




**STHAVI ASTHANA
ADVOCATE FOR UPPCB
C-9, SECTOR 50, NOIDA,
UTTAR PRADESH-201303
(M): 9711116034**

(E): STHAVIASTHANA@GMAIL.COM

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 603 OF 2024



S. No... 151
DATE... 6.4.2024
NOTARY INDIA

IN THE MATTER OF:

NEWS ITEM TITLED "AVADH-KHANAN PAR HO RAHEE HAI KARYAVAI JCB SAMET 9 TRACTOR-TROLLY GAYE HAI SEAZE" APPEARING IN CHANDAILISAMACHAR.COM DATED 13.04.2024

RESPONSE ON BEHALF OF UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, IN COMPLIANCE WITH ORDER DATED 13.02.2026 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL


I, Rohit Singh, aged about 53 years, S/o Shri N. C. Sachan, posted as Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Varanasi, Uttar Pradesh do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present reply.

2. That this Hon'ble Tribunal vide order dated 13.02.2026 had directed as follows:

"...UPPCB is directed to place the relevant material before this Tribunal so that orders for imposition and recovery of environmental compensation from the violators can be passed by this Tribunal."

A



3. That in compliance with the directions of this Hon'ble Tribunal, it is submitted that UPPCB had imposed environmental compensation of Rs. 7,56,756/- on Shri Lalman Yadav vide order dated 27.06.2025, and the same has been annexed with the reply affidavit dated 01.07.2025 filed on behalf of UPPCB. It is submitted that the same was calculated as per Approach-2 of the Recommendations on Scale of Compensation to deal with the cases of illegal sand mining dated 29.01.2020 by CPCB, considering the price of soil to be Rs. 7 per cubic metre.

4. That this Hon'ble Tribunal vide the last order had impleaded nine registered owners of the vehicles seized by the Police as Respondent Nos. 5 to 13. It is submitted that it was informed by the District Mining Officer that of the nine vehicles seized, one was a JCB and the rest eight were tractor trolleys within which 3-4 cubic metres of ordinary soil was being transported. UPPCB has prepared a report regarding the relevant material for calculation of environmental compensation against the said Respondent Nos. 5 to 13 based on the above parameters and the same is being filed for consideration of this Hon'ble Tribunal.

A true copy of the letter dated 02.04.2026 sent by the District Mining Officer is annexed hereto and marked as **Annexure No. 1.**

A true copy of the report dated 02.04.2026 by UPPCB is annexed hereto and marked as **Annexure No. 2.**




5. That everything stated above is true and correct to my knowledge, derived from official records, and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Varanasi on this 4th day of April 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 5 are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT



Sworn Before Me & Solemnly
Affirm: Signature and Contents
Verified Today
S. PATHAK Advocate
NOTARY GOVT. OF INDIA
Varanasi
Reg. No. 13472/2017

कार्यालय जिलाधिकारी, चन्दौली।
(खनिज अनुभाग)

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
आवास विकास आफिस काम्पलेक्स,
जवाहर नगर, भेलुपुर, वाराणसी।

पत्रांक: 05 / तीस-उपखनिज / 2026-27


दिनांक 02, अप्रैल, 2026

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० न०-603/2024, न्युज आइटम टाइटल्ड अवैध खनन पर हो रही है कार्यवाही, जे०सी०वी० समेत 09 ट्रैक्टर-ट्राली किये गये हैं सीज "appear in chandaulisamachar.com Dated 13.04.2024 में पारित आदेश दिनांक 13.02.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या-07/NGT/ओ०ए० न०-603/2024/2026-27 दिनांक 02.04.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से सम्बन्धित प्रकरण में राज्य बोर्ड के अधिवक्ता से प्राप्त निर्देशों के अनुसार जप्त किये गये वाहनों पर भी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण की प्रक्रिया की जानी है। तत्क्रम में उक्त वाद में चिन्हित वाहनों के द्वारा परिवहन की जा रही मिट्टी की मात्रा/लोडिंग क्षमता (घनमीटर में) अवगत कराने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जांच के दौरान वाहनों लगभग 03 से 04 घनमीटर साधारण मिट्टी का परिवहन किया जा रहा था।


02/04/2026
खान अधिकारी,
चन्दौली।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ।

खान अधिकारी,
चन्दौली।

माननीय एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 603/2024 News Item Titled "अवैध खनन पर हो रही है कार्यवाही, जेसीवी समेत 9 ट्रैक्टर-ट्राली किए गये हैं सीज" Appearing in chandaulisamachar.com dated 13.04.2024 में पारित आदेश दिनांक 13.02.2026 के अनुपालन में जब्त किये गये वाहनों द्वारा परिवहन की जा रही मिट्टी के मूल्य का आंकलन।

1. मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 603/2024 News Item Titled "अवैध खनन पर हो रही है कार्यवाही, जेसीवी समेत 9 ट्रैक्टर-ट्राली किए गये हैं सीज" Appearing in chandaulisamachar.com dated 13.04.2024 में पारित आदेश दिनांक 13.02.2026 के अनुपालन में उक्त वाद के अन्तर्गत जब्त किये गये 09 वाहन के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 07/एन.जी.टी/ओ.ए. नं0-603/2024/2026-27, दिनांक 02.04.2026 द्वारा जिला खान अधिकारी, चन्दौली को पत्र प्रेषित किया गया (संलग्नक-1)। तत्कम में जिला खनन अधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्या-05/तीस-उपखनिज/2026-27 दिनांक 02.04.2026 से अवगत कराया गया कि जब्त किये गये 09 वाहनों में से 01 जे0सी0वी0 के द्वारा खुदाई तथा अन्य 08 वाहन (ट्रैक्टर ट्रॉली) है, जिनके द्वारा 03 से 04 घनमीटर साधारण मिट्टी की परिवहन किया जा रहा था।
2. विगत में श्री लालमन यादव पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 756756/- (रू0 सात लाख छपपन हजार सात सौ छप्पन मात्र) का अधिरोपण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0-360 आफ 2015 में पारित आदेश दिनांक 05.04.2019 से गठित कमेटी जिसकी नोडल एजेन्सी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है द्वारा तैयार की गयी Recommendations on Scale of Compensation to deal with the cases of illegal sand mining के आधार पर पूर्व आख्या दिनांक 26.06.2025 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन अवैध रूप से खनन की गयी मिट्टी का मूल्य लोक निर्माण विभाग, चन्दौली द्वारा मार्ग के निर्माण हेतु मिट्टी की स्वीकृत दर रू 7.0 प्रति घनमीटर मानते हुए आंकलित किया गया है। संदर्भित रिकमण्डेशन में अवैध रूप से परिवहन की जा रही मिट्टी पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन के प्रावधान प्रथम दृष्टया उल्लेखित नहीं हैं। उक्त वाद में सीज किये गये दोषी वाहन 01 जे0सी0वी0 के द्वारा खुदाई तथा अन्य 08 वाहन (ट्रैक्टर ट्रॉली) पर अधिकतम परिवहन क्षमता 04 घनमीटर तथा अवैध रूप से खनन की गयी मिट्टी की दर को रू 7.0 प्रति घनमीटर के आधार पर परिवहन की जा रही मिट्टी की मात्रा की गणना निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	वाहन का प्रकार	वाहन संख्या	वाहन स्वामी का नाम	वाहन स्वामी का पता	कैरिंग कैपेसिटी	प्रति घनमीटर मिट्टी की दर	वाहनों द्वारा परिवहन की जा रही अवैध खनित मिट्टी का कुल मूल्य
1	जे0सी0वी0	T053679866HM	श्री अनिल यादव पुत्र श्री लालमन यादव	नि0 ग्राम-कुण्डाखुर्द थाना-मुगलसराय, तहसील-पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर, जनपद-चन्दौली।	केवल साधारण मिट्टी खुदाई हेतु	रू0 7.0/ घनमीटर	-
2	ट्रैक्टर-ट्रॉली	UP 63 AF 9535 (Ch. No. HZQS G74783 5SM)	श्रीगती गन्ती देवी पत्नी श्री कृष्णानन्द	नि0 ग्राम-सुरागी थाना-चुनार, जनपद-गिर्जापुर।	04 घनमीटर	रू0 7.0/ घनमीटर	रू0 28.0 मात्र /-

3	ट्रैक्टर-ट्रॉली	UP 67 AF 2025 (Ch.No. T053550541BK)	श्रीगती रान्तारा देवी पत्नी श्री लालमन यादव	नि० ग्राम-कुण्डाखुर्द थाना-गुगलसराय, तहसील-पं० दीन दयाल उपाध्याय नगर, जनपद-चन्दौली।	04 घनमीटर	रु० 7.0/ घनमीटर	रु० 28.0 मात्र /-
4	ट्रैक्टर-ट्रॉली	UP 67 AT 3483 (HAR3DXSSA 02807131)	श्री लालमन यादव पुत्र श्री फुलचन्द्र	नि० ग्राम-कुण्डाखुर्द थाना-गुगलसराय, तहसील-पं० दीन दयाल उपाध्याय नगर, जनपद-चन्दौली।	04 घनमीटर	रु० 7.0/ घनमीटर	रु० 28.0 मात्र /-
5	ट्रैक्टर-ट्रॉली	WXTE3042714 1138 (रजि० नं० UP65C A 2066)	विजेन्द्र यादव पुत्र श्री लल्लू यादव	नि० ग्राम-चतुर्गुजपुर थाना-गुगलसराय, जनपद-चन्दौली।	04 घनमीटर	रु० 7.0/ घनमीटर	रु० 28.0 मात्र /-
6	ट्रैक्टर-ट्रॉली	T053393846CG (रजि० नं० UP67X 7756)	सिकन्दर प्रताप यादव पुत्र श्री गंगा यादव	नि० ग्राम-सरेसर पो०-आलमपुर, तहसील-सकलडीहा, जनपद-चन्दौली।	04 घनमीटर	रु० 7.0/ घनमीटर	रु० 28.0 मात्र /-
7	ट्रैक्टर-ट्रॉली	T053383268AG (रजि० नं० P67X 5457)	सुनिल कुमार राय पुत्र श्री रामचन्द्र	नि० ग्राम-हिनौली थाना-गुगलसराय, जनपद-चन्दौली।	04 घनमीटर	रु० 7.0/ घनमीटर	रु० 28.0 मात्र /-
8	ट्रैक्टर-ट्रॉली	RFBH02657 (रजि० नं० UP67N 0467)	श्री जिउत पुत्र श्री रामधारी	नि०-147, बहादुरपुर थाना- गुगलसराय, जनपद-चन्दौली।	04 घनमीटर	रु० 7.0/ घनमीटर	रु० 28.0 मात्र /-
9	ट्रैक्टर-ट्रॉली	UP 67 AF 6264 (Ch. No. AA20 61514641)	श्री राकेश पुत्र श्री प्यारेलाल	नि० ग्राम-बरहुली जन्सो की मड़ई जनपद-चन्दौली।	04 घनमीटर	रु० 7.0/ घनमीटर	रु० 28.0 मात्र /-

उपरोक्तानुसार आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

02/04/26
(रोहित सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

Kashish
02/04/2026
(कशिश कनौजिया)
अवर अभियन्ता

02/04/26
(सी०पी० वर्मा)
वैज्ञानिक सहायक